

6. यह कि मा० उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में व्यवस्था दी है कि जो कोई बार हड्डताल का आवाहन करेगा वह व्यवसायिक कदाचरण का दोषी होगा तथा न्यायालय की अवमानना का भी दोषी होगा।
7. यह कि मा० उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के पश्चात व्यवस्था यह दूनी थी कि जिसे भी न्यायालय से शिकायत हो वह सम्बन्धि मा० उच्च न्यायालय को शिकायत करेगा। मा उच्च न्यायालय के प्रशासनिक जज अथवा निर्देशित अधिकारी उस शिकायत पर जांच करें व कार्यवाही करें।
8. यह कि मैं वर्ष 1978 से विधि व्यवसाय में हूँ तथा मेरी उपरिथि विद्वान न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में कई बार हुई। सम्बन्धित पीढ़ाशीन अधिकारी मेहनत व इमानदारी से कार्य करते हैं। इनके द्वारा श्री राहुल उपर्याय जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था। उसी रैंजिश के कारण जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के कारण यह सभी प्रकरण एक घडयन्त्र के तहत कराया गया है।
9. यह कि सम्बन्धित अधिकारी जनपद बुलन्दशहर में करीब 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है तथा आज तक नेरे द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई विपरीत तथ्यों की शिकायत का नहीं सुना गया है। कई विद्वान अधिवक्तागण का मत है अधिकारी सत्य निष्ठा से कार्य करते हैं इनका कार्य व आचरण बहुत अच्छा है तथा इनका डिस्पोजल भी त्वरित व आधिक है।
10. यह कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलन्दशहर व सिविल बार एसोसिएशन बुलन्दशहर के पदाधिकारी व्यवसायिक कदाचरण के दोषी हैं तथा न्यायालय एवं मा० उच्चतम न्यायालय की अवमानना के भी दोषी हैं।
11. यह कि संलग्न विधि व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त मामले में कार्यवाही अवश्य होनी है। हड्डताल के प्रत्यावर की छाया प्रति संलग्न है।
12. यह कि मा० उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाएं संलग्न है।

सत्यापन :- मैं शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथपूर्त की धारा-1 ता 12

मेरे व्यक्तिगत एवं विकासी जन-में सब सच और सुलभ है कोई वात झूठ

व छिपाया नहीं है। इसके साथ ही यह कि मैं इसके लिए इसके लिए देख रखा हूँ

विधायक ने इसके लिए देख रखा है। इसके लिए देख रखा है।

दिनांक :- 25.03.2021।

शपथपूर्त करने वाले का नाम व विवरण

शपथपूर्त करने वाले का नाम व विवरण